फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम संगरिया
आनन्द वगैरा बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना– पत्र 251 (ए) आर.टी.ए नम्बर /2025

कील प्रार्थी– स्वंय वकील अप्रार्थी

तारीख हुकम	हुकम या कर्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
26.9.25	प्रार्थीगण आनन्द प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, प्रेमप्रकाश पिसरान सुगनलाल जाति बिश्नोई साकिन चक 3 एनटीडब्ल्यु ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ स्वंय ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपने स्वंय के नाम दर्ज आराजी चक 3 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 86/69 प.न. 183/168 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 12/0.004 है., 13/0.004 है. 18/0.0130 है. 19/0.0130 है. 22/0.009 है. 23/0.009 है. में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया से रिपोर्ट लिये जाने पर उन्होने ने अपने पत्रांक राजस्व/2025/1178 दिनांक 10.03.2025 द्वारा आवेदित रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनें खेत में आवागमन करते है और आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई। अतः उक्त प्रार्थना पत्र/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्त 8 (2) के तहत स्वीकार कर चक 3 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 86/69 प.न. 183/168 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 12/0.004 है., 13/0.004 है. 18/0.0130 है. 19/0.0130 है. 22/0.009 है. 23/0.009 है. रास्ता प्रार्थीगण की मांग अनुसार स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार संगरिया को दर्ज करने हेतु पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।	